संख्या : सीडीएन/80/2017-समन्वय

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में नवम्बर, 2018 माह के लिए मासिक सारांश

अधोहस्ताक्षरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित नवम्बर, 2018 माह के लिए अंग्रेजी में मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग की एक एक प्रति, एतद्द्वारा, परिपत्रित करने का निदेश हुआ है। इसका हिन्दी रूपान्तर शीघ्र ही भेज दिया जाएगा।

(के.सी. बेहरा)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23380547

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

वितरण : **मंत्री परिषद के सभी सदस्य।**

प्रति (अनुलग्नक सहित) प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव
3. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन (श्री भाष्कर दास गुप्ता, निदेशक)
5. प्रधान मंत्री का कार्यालय (श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
7. प्रधान महा-निदेशक (एमएंडसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
8. भारत सरकार के सभी सचिव
9. मंत्री, महिला एवं बाल विकास के निजी सचिव / राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास के निजी सचिव
10. प्रैस सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे मंत्रालय की वैब-साइट पर अपलोड कर दिया जाए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में नवम्बर, 2018 माह के लिए मासिक सारांश रिपोर्ट

नवम्बर, 2018 को समाप्त होने वाले महीने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैं :

1. पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की तीसरी बैठक

पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की तीसरी बैठक उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2018 को नई दिल्ली में हुई। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, प्रत्येक में दो जिलों के कुछ ब्लॉक्स में सशर्त नकदी अंतरण पर शुरूआत की जाए।

2. हौसला, 2018

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए 26-29 नवम्बर, 2018 तक "हौसला, 2018" का आयोजन किया। विभिन्न स्पर्धाओं जैसे चित्रकारी प्रतियोगिता, एथलेटिक्स स्पर्धा, फुटबाल, शतरंज प्रतियोगिता और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का नई दिल्ली में आयोजन किया गया।

3. बाल दिवस समारोह

खाद्य एवं पोषण बोर्ड के तहत सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार यूनिट्स ने 14 नवम्बर, 2018 को बाल दिवस समारोह तथा 14 से 19 नवम्बर, 2018 तक आईसीडीएस सप्ताह का आयोजन किया। पूरे देश में इस कार्यक्रम के दौरान संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रदर्शनियां, क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, लेक्चर-सह-प्रदर्शन, कविता प्रतियोगिता, पोषण जागरूकता कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया।

4. "एग्रो वर्ल्ड 2018 प्रदर्शनी"

मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड के तहत किदवई नगर, मायापुरी और गुलाबी बाग स्थित सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार यूनिट्स ने भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद द्वारा पूसा, नई दिल्ली में 25 से 27 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित "एग्रो वर्ल्ड 2018 प्रदर्शनी" में भाग लिया। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शन जैसे पोषणात्मक रेसिपीज (संतुलित आहार, गर्भावस्था दौरान आहार, लौह समृद्ध भोजन, वीनिंग फूड, संतुलित फल एवं सब्जियां आदि) पोषण पर पैनल्स एवं पोस्टर प्रदर्शित किए गए। आगुन्तकों को आईईसी सामग्री वितरित की गई। पोषण संबंधित मुद्दों पर व्याख्यान भी दिए गए। लगभग 2000 आगुन्तकों ने स्टॉल का दौरा किया।

5. विमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फैस्टिवल, 2018

मंत्रालय ने 26 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 2018 तक इन्दिरा गांधी नैशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (आईजीएनसीए)ण नई दिल्ली में विमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फैस्टिवल, 2018 का आयोजन किया।

फैस्टिवल के दौरान 566 महिला उद्यमियों ने भाग लिया जिसमें 283 स्टॉल्स लगाए गए और 2.87 करोड़ रूपए का कारोबार हुआ। इसमें सप्ताह के दिनों में 5000-7000 तथा सप्ताह के अंतिम दिनों में 11000-14000 आगुन्तक आए। थोक में दिए गए आदेश 60 लाख से ज्यादा रहे।

6. **वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हैल्पलाइन के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण**

हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए गुणवत्तापरक सेवाएं तथा समन्वयित सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हैल्पलाइन के फ्रंटलाइन कार्यकर्त्ताओं के लिए श्रीनगर में 30 नवम्बर, 2018 को उन्नत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

7. **जेंडर बजटिंग पर परियोजना स्वीकृति समिति**

विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से 11 संस्थानों द्वारा जेंडर बजटिंग पर परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) प्रशिक्षणों का दूसरा चरण 20.11.2018 को हुआ। मंत्रालय जेंडर बजट और बाल बजट को नए और उच्च स्तर पर लेने के अपने प्रयासों को नवीनीकृत कर रहा है।

8. **वन स्टॉप सेंटर पर पीएबी**

वन स्टॉप सेंटर स्कीम के तहत 90 प्रस्तावों का पीएबी द्वारा 19.11.2018 को हुई इसकी बैठक में अनुमोदन किया गया।

9. **निर्भया फंड पर अधिकारित समिति**

अधिकारित समिति ने 16.11.2018 को हुई अपनी बैठक में निर्भया फंड के अन्तर्गत् वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों का मूल्यांकन किया और सिफारिश की –

i. यौन हमले के मामलों के लिए 107.19 करोड़ रुपये की कुल लागत पर फोरेंसिक किट की खरीद और राज्य एफएसएल को सुदृढ़ करना।
ii. कोंकण रेलवे स्टेशनों पर 17.64 करोड़ रूपए की कुल लागत पर वीडियो निगरानी सिस्टम का प्रावधान
iii. बकाया मामलों को निपटाने के लिए 767.25 करोड़ रूपए की कुल लागत पर 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करना।

10. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नैशनल टास्क फोर्स**

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नैशनल टास्क फोर्स की बैठक 30.11.2018 को सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में हुई। सभी हितधारकों यथा एनटीएफ सदस्य, संबंधित मंत्रालय, राज्यों एवं बीबीबीपी जिलों से भाग लेने वालों की संख्या काफी अच्छी रही। एनटीएफ नियमित आधार पर फ्लैगशिप कार्यक्रम की समीक्षा, मार्ग-दर्शन तथा संचालन करती है।

11. **एनसीपीसीआर सदस्यों का चयन**

एनसीपीसीआर में सदस्यों के रिक्त पदों के लिए आवेदन-पत्र मंगवाने के बाद आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए दिनांक 28.11.2018 को चयन समिति की बैठक हुई तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को 29.11.2018 को अंतिम उत्तर भेज दिया गया है।

12. डीबीटी वर्कशाप

इस मंत्रालय की डीबीटी स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव,महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में 28.11.2018 को डीबीटी के कार्यान्वयन पर एक कार्याशाला आयोजित की गई । इस कार्यशाला में डीबीटी मिशन तथा पीएफएमएस के पदाधिकारियो ने भाग लिया ।

13. संचालन समिति कारा

संचालन समिति कारा की 18वीं बैठक 26 नवम्बर, 2018 को हुई जिसमें कारा के लिए सृजित नए पदों हेतु भर्ती नियमों को अपनाया गया तथा निर्णय लिया गया कि इन पदों को भरा जाए । संचालन समिति द्वारा पिछले पांच वर्ष के दौरान उनके कार्य चालन की समीक्षा के आधार पर प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी, कनाडा की वर्ल्ड व्यू एडॉप्शन एजेंसी के लाइसेंस को नवीकृत न करने का भी निर्णय लिया गया ।

14. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन :

- विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ परस्पर बातचीत और संवाद के लिए नियमित आधार पर वीडियो कांफ्रैन्स आयोजित की जा रही हैं ।
- मंत्रालय द्वारा पूर्ण ई-कार्यालय कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में बचत हुई है; इसके अलावा, अधिकांशत: अंतर-मंत्रालयीय पत्र-व्यवहार ई-मेल के माध्यम से किया जा रहा है ।
- सभी नीतियां / कार्यक्रम / योजनाएं / अधिनियम / स्वीकृति आदेश आदि हितधारकों द्वारा आसानी से पहुंच के लिए पब्लिक डोमेन पर लोड किए जाते हैं ।

***